

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.**

F. No. 11 (22)/Rev.Estt./84(1)/ 2852

Dated: 1/1/2013

NOTIFICATION

No.11(22)/Rev.Estt./84(1):- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub clause (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon *Sh. J.P. Verma, Tehsildar of Delhi Development Authority*, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in respect of land owned by or under the management of Delhi Development Authority, so long as he holds such post or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LIEUTENANT GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

**(Kuldeep Singh Gangar)
Special Secretary(Revenue)/
Deputy Commissioner(HQ)**

F. No. 11 (22)/Rev.Estt./84(1)/ 2852

Dated:- 1/1/2013

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi, alongwith two copies of Notification in English and Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2. The Deputy Director(Land), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
3. Officer concerned through Deputy Director(Land), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
4. The System Analyst, Revenue Department for uploading the notification on the website of this department.
5. P.S. to Secretary(Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
6. Guard file.

**(Ashok Kumar Sharma)
Sub Divisional Magistrate-IV(HQ)**

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)
5, शाम नाथ मार्ग , दिल्ली


सं०. एफ.11(22)/रा.स्था./84(1)/2856

दिनांक : 1/1/2013

अधिसूचना

सं०. एफ.11(22)/रा.स्था./84(1) :- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जे० पी० वर्मा, तहसीलदार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा प्रबंध की अधीनस्थ भूमि के लिए सहायक कलैक्टर, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा नाम पर



(कुलदीप सिंह गंगर)
विशेष सचिव (राजस्व)/
उपायुक्त (मुख्यालय)

सं०. एफ.11(22)/रा.स्था./84(1)/2856

दिनांक : 1/1/2013

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. उप.निदेशक (भूमि), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली।
3. संबंधित अधिकारी को उप.निदेशक (भूमि) दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई. एन.ए., नई दिल्ली के माध्यम से।
4. प्रणाली विश्लेषक (मु०) (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
5. सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त के निजी सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, ।
6. गार्ड फाइल ।



(अशोक कुमार शर्मा)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मु०-IV)